प्रेषक,

**वित्त नियन्त्रक,**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ ।

सेवा में,

**वित्त अधिकारी,**
उ0प्र0पं0दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गौ अनुसंधान संस्थान,मथुरा ।

संख्या- /बजट/29(5)/अनु0-15/46/2018-19 दिनांक 16-11-18

विषय:- **उ0प्र0पं0दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान,मथुरा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धनराशि का आॅवटन ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-97/2018/3271/सैतीस-2-2018-1(10)/18,दिनांक 29 अक्टूबर,2018 द्वारा मथुरा विश्वविद्यालय के आन्तरिक मार्गो की सडकों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन)में रू0 20932000.00(रूपये दो करोड नौ लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संलग्न एलामेन्ट ग्रिड रिर्पोट के अनुसार व्यय हेतु आपको निम्नलिखित शर्तो के अधीन आॅवटित की जाती है।शर्तो से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें ।

(1) आवंटित धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी,मथुरा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(2) आॅवटित की जा रही धनराशि से प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-2376/सैतीस-2-2017-1(10)/2018, दिनांक 7-8-2018 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित करायेगी। कार्यो की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति उ0प्र0पं0दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान,मथुरा का होगा ।

(3) आॅवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा,वस्तुत: जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैइससे इतर अन्य मद/प्रयोजन में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा ।

(4) प्रस्तावित आगणन में चूॅकि सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति नही ली गई है। अत: प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना/कार्यो पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(5) आॅवटित धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा। आगणन के संबंध में मूल्यॉकन(अप्रेजल)एवं औचित्य के परीक्षण हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 की व्यवस्था की प्रतिबद्धता है।

(6) आॅवटित की जा रही धनराशि वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2018 तथा वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 क शासनादेश दिनांक 01-09-2018 में निहित व्यवस्थानुसार आहरित/कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) आॅवटित की जा रही धनराशि से सामग्री/उपकरण आदि का क्रय वित्तीय नियमों/संगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

(8) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगां कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है और न ही यह कार्य वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(9) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30-03-2018 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-04-2018 तथा वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 01-09-2018 में निहित व्यवस्था व शर्तो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक''2403-पशुपालन-800-अन्य व्यय-06-पं0 दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामे डाला जायेगा ।

(11) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन रजिस्टर के कम संख्या-46(अनु0-15) पर अंकित कर ली गई है ।

**संलग्नक: यथोपरि ।**

भवदीय,

**(नरेन्द्र प्रताप सिंह)**
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 961 /बजट/29(5)/अनु0-15/46/2018-19 तद्दिनांक ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
(2) अनुसचिव,पशुधन अनुभाग-2,उ0 प्र0 शासन,,सचिवालय,लखनऊ ।
(3) जिलाधिकारी, मथुरा ।
(4) कुलपति उ0प्र0पं0दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौअनुसंधान संस्थान,मथुरा।
(5) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा ।
(6) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।
(7) कम्प्यूटर आपरेटर-कम-सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।
(8) व्यय सहायक,बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

**(नरेन्द्र प्रताप सिंह)**
वित्त नियन्त्रक।

# Print Report

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2018-2019**
**आवंटन दिनांक-16/11/2018**

| | |
|---|---|
| **प्रेषण संख्या:-** | 961 |
| **आवंटन आदेश संख्या:-** | 002-29-5-ANU-15-46-2018-19 |
| **अनुदान संख्या:-** | 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन) |
| **लेखाशीर्षक:-** | 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय) |
| | 800 - अन्य व्यय |
| | 06 - पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान,मथुरा |

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 20932000<br>70932000 | 20932000<br>70932000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 20932000<br>70932000 | 20932000<br>70932000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ नौ लाख बत्तीस हजार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ नौ लाख बत्तीस हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
**वित्त नियंत्रक**



16-11-2018, 10:07